महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय,

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ–226 007

वेब साईट : *www.upefa.com* ई–मेल : *upefaspo@gmail.com* दूरभाष : 0522-2780995, 05222780384

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः गुण0वि0 / प्री–प्राइमरी / 4951 / 2020–21 दिनांकः 07 / ~~सितम्बर~~ अक्टूबर / 2020

विषयः <u>राज्य में आंगनबाडी केद्रों पर गुणवत्तापूर्ण ई0सी0सी0ई0 (पूर्व प्राथमिक) संचालन हेतु डी0एल0टी0 एवं बी0एल0टी0 के अंतर्गत आंगनबाडी कार्यकत्रियों के क्षमता संवर्द्धन एवं अभिमुखीकरण के संबंध में।</u>

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय महानिदेशक, स्कूल शिक्षा के पत्रांक–3633 दिनांक 26.08.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं आपको पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से समस्त जनपदो को शाला पूर्व शिक्षा के संबंध में वर्ष 2020–21 में संपादित किये जाने वाले कार्यक्रम के संबंध में अवगत कराते हुए विभिन्न हित धारकों के अभिमुखीकरण हेतु विस्तृत कार्ययोजना बनायी गयी है। उक्त कार्ययोजना के अंतर्गत **राज्य स्तर पर स्टेट रिसोर्स ग्रुप (एस0आर0जी0), जनपद स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनर (डी0एल0टी0) एवं परियोजना स्तर पर ब्लॉक लेवल ट्रेनर (बी0एल0टी0)** का गठन एवं क्षमता संवर्द्धन किया जाना है। बी0एल0टी0 एवं आंगनबाडी कार्यकत्री स्तर का उन्मुखीकरण जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर किया जाना है। तत्संबंधी प्रशिक्षण एवं प्रतिभागियों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :–

क्रम	विवरण	दिवस	प्रतिभागी संख्या	दर	कुल
1	**बी0एल0टी प्रशिक्षण**				
1.1	एस०आर०जी० एवं डी०एल०टी० Honorarium (4 दिन × 750 प्रतिभागी × Rs. 500)	4	750	300	900000
1.2	लंच पैक एवं पानी (750 एस०आर०जी० एवं डी०एल०टी० 3520 बी0एल0टी)	4	4270	100	1708000
1.3	प्रशिक्षण सामग्री प्रति प्रतिभागी		3520	50	176000
1.4	सहायक पर्यवेक्षण (supportive supervision) हस्तपुस्तिका		3520	40	140800
1.5	बाल मूल्यांकन हस्त पुस्तिका		3520	40	140800
1.6	आंगनवाडी कार्यकत्री प्रशिक्षण मॉड्यूल		3520	40	140800
	योग				**3206400**
2	**ऑगनबाडी कार्यकत्री प्रशिक्षण**				
2.1	बी0एल0टी Honorarium (4 दिन × 3520 प्रतिभगी × Rs. 500)	4	3520	300	4224000
2.2	लंच पैक एवं पानी (750 एस०आर०जी० एवं डी०एल०टी० 3520 बी0एल0टी 160000 ऑगनबाडी कार्यकत्री)	4	164270	100	65708000
2.3	प्रशिक्षण सामग्री प्रति प्रतिभागी		160000	50	8000000
	योग				**77932000**

जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण में मदवार अधिकतम धनराशि का आगणन उपरोक्तानुसार किया गया है, जिसका भुगतान वास्तविक व्यय के अनुसार किया जाना है। प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के पूर्व जनपद स्तर पर निम्नांकित तैयारियों की जानी अपेक्षित हैं–

- प्रशिक्षण स्थल के चयन के रूप में ऐसे स्थल का चयन किया जाये, जिसमें कोविड–19 हेतु निर्गत दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रशिक्षण संचालित किया जाये।
- प्रत्येक प्रतिभागी को वितरित किये जाने वाले मॉडयूल्स एवं प्रशिक्षण सामग्री आदि का मुद्रण/फोटोकापी की उपलब्धता प्रशिक्षण के पूर्व सुनिश्चित कर ली जाये।
- लंच–पैक एवं पानी आदि की व्यवस्था में स्वच्छता बरती जाये।
- उक्त प्रशिक्षण का अनुश्रवण गूगल मीट लिंक के माध्यम से राज्य स्तर पर भी किया जायेगा।
- विकास खण्ड स्तर पर आंगनबाडी कार्यकत्रियों का प्रशिक्षण कराया जाना है। अतः जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से विकासखण्डवार आंगनबाडी कार्यकत्रियों की संख्या के आधार पर आंकलन कराते हुए ब्लॉक संसाधन केंद्र को ससमय धनराशि अंतरित की जाये।
- खण्ड शिक्षा अधिकारी, संबंधित विकासखण्ड द्वारा ब्लॉक संसाधन केंद्रों में प्रशिक्षण की पूर्व तैयारी के रूप में बैठने की व्यवस्था, जनरेटर, प्रोजेक्टर, बिजली, पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये एवं इसका सत्यापन ए0आर0पी0 के माध्यम से किया जाये।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक–उक्तवत</u>

भवदीय,

(विजय किरन आनन्द)
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा

पृ0सं0: गुण0वि0/प्री–प्राइमरी /4951/2020–21 तददिनॉक।

<u>प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 शासन।
3. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उ0प्र0।
4. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ, उ0प्र0।
5. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
6. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
7. निदेशक, बेसिक शिक्षा, लखनऊ, उ0प्र0।
8. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0।
9. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, समस्त मण्डल, उ0प्र0।
10. जिला परियोजना अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
11. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।

(विजय किरन आनन्द)
o/c महानिदेशक, स्कूल शिक्षा